प्रेस नोट दिनांक 25.11.2026 जनपद प्रतापगढ़

थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के संबंध में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना संग्रामगढ़ पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से संबंधित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 24.11.2026 को थानाध्यक्ष संग्रामगढ़ श्री उमेश खरवार के कुशल नेतृत्व में उ0नि0 सरनाम सिंह मय हमराह का0 अवधेश यादव एवं का0 अंकित प्रभात द्वारा पुलिस मीडिया सेल, जनपद प्रतापगढ़ से प्राप्त सूचना के आधार पर सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो से संबंधित अभियुक्त रवि प्रजापति पुत्र लवकुश प्रजापति उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम महुआ रोकैयापुर, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. रवि प्रजापति पुत्र लवकुश प्रजापति उम्र करीब 22 वर्ष निवासी ग्राम महुआ रोकैयापुर, थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-
उ0नि0 सरनाम सिंह मय हमराह का0 अवधेश यादव, का0 अंकित प्रभात थाना संग्रामगढ़, जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस की प्रभावी कार्यवाही, अपहरण एवं पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में वांछित 01 अभियुक्त मोहित विश्वकर्मा गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 अनिल कुमार व का0 योगेन्द्र कुमार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त के दौरान मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137(2)/87/65(1) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त मोहित विश्वकर्मा पुत्र

विश्वम्भर विश्वकर्मा निवासी ग्राम सोनावा, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को दिनांक 25.11.2026 को कृष्णा रिसॉर्ट, सगरा ढलान के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. मोहित विश्वकर्मा पुत्र विश्वम्भर विश्वकर्मा निवासी ग्राम सोनावा, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-
उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का0 अनिल कुमार व का0 योगेन्द्र कुमार, थाना कोतवाली नगर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के अभियोग में नामजद अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना महेशगंज पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल करने के अभियोग में नामजद अभियुक्त वीरेन्द्र यादव को गिरफ्तार किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो वायरल किए जाने के संबंध में प्राप्त शिकायत के आधार पर थाना महेशगंज पर मु0अ0सं0 309/2026 धारा 353(3)/352/351(3) बीएनएस के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महेशगंज के उ0नि0 अजय कुमार मय हमराह का0 प्रेमवीर सिंह एवं रि0का0 मिथलेश कुमार द्वारा पंजीकृत मु0अ0सं0 309/2026 धारा 353(3)/352/351(3) बीएनएस थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित नामजद अभियुक्त वीरेन्द्र यादव पुत्र स्व0 भोलानाथ यादव निवासी ग्राम दुवानन का पुरवा, रायअसकरनपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 32 वर्ष को ग्राम दुवानन का पुरवा थाना क्षेत्र महेशगंज से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. वीरेन्द्र यादव पुत्र स्व0 भोलानाथ यादव निवासी ग्राम दुवानन का पुरवा, रायअसकरनपुर थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 32 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अजय कुमार मय हमराह का0 प्रेमवीर सिंह, रि0का0 मिथलेश कुमार, थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

हत्या के अभियोग में वांछित अभियुक्त जितेन्द्र कुमार शुक्ल गिरफ्तार, घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा हत्या के अभियोग में अभियुक्त जितेन्द्र कुमार शुक्ल को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनांक 22.11.2026 को वादी निवासी ग्राम छिन्दौरा, परियांवा, जनपद प्रतापगढ़ को रात्रि में सूचना प्राप्त हुई कि उनके भाई उम्र करीब 52 वर्ष, जो विगत करीब 05 वर्षों से विवेक नगर में किराये पर रह रहे थे, पर किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से जान से मारने की नीयत से शरीर के नाजुक स्थानों पर कई वार किए गए हैं। वादी मौके पर पहुंचे तो उनका भाई बेहोशी की हालत में मिला, जिसे एम्बुलेंस से जिला अस्पताल प्रतापगढ़ ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों द्वारा स्वरूपरानी नेहरू अस्पताल, प्रयागराज रेफर कर दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर पर मु0अ0सं0 697/2026 धारा 109(1), 110 बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान घायल की मृत्यु हो जाने पर अभियोग में धारा 103(1) बीएनएस की बढ़ोत्तरी की गई।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में अपराध एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री आलोक कुमार व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आशुतोष मिश्रा के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री विनोद कुमार यादव के नेतृत्व में थाना कोतवाली नगर के निरीक्षक श्री राकेश राय, व0उ0नि0 श्री उपदेश कुमार, उ0नि0 बेंचू सिंह यादव एवं उ0नि0 रमेश तिवारी मय हमराह पुलिस बल द्वारा मु0अ0सं0 697/26 धारा 103 (1) बीएनएस से संबंधित 01 अभियुक्त जितेन्द्र कुमार शुक्ल पुत्र स्व0 पारसनाथ शुक्ल निवासी ग्राम जाजूपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़, हाल पता विवेक नगर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 54 वर्ष को गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्त की निशानदेही पर भुलियापुर-दहिलामऊ रोड स्थित पुलिया के नीचे छिपाकर रखे गए घटना में प्रयुक्त चाकू बरामद किया गया। बरामद चाकू के आधार पर अभियोग में धारा 4/25 आर्म्स एक्ट की बढ़ोत्तरी की गई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
1. जितेन्द्र कुमार शुक्ल पुत्र स्व0 पारसनाथ शुक्ल निवासी ग्राम जाजूपुर थाना मानिकपुर जनपद प्रतापगढ़, हाल पता विवेक नगर थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़, उम्र करीब 54 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-
घटना में प्रयुक्त एक चाकू बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-
निरीक्षक श्री राकेश राय, व0उ0नि0 श्री उपदेश कुमार, उ0नि0 बेंचू सिंह यादव, उ0नि0 रमेश तिवारी, का0 नागेन्द्र खरवार, का0 वीरेन्द्र कुमार, का0 विकास कुमार गुप्ता एवं रि0आ0 राकेश कुमार, थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।

थाना मान्धाता पुलिस द्वारा लूट के मुकदमे में न्यायालय से जारी NBW वारंट के अनुपालन में 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त थानेदार को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में, अपर पुलिस अधीक्षक एवं क्षेत्राधिकारी के पर्यवेक्षण में वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना मान्धाता पुलिस के व0उ0नि0 लाखन सिंह भदौरिया मय हमराह रि0का0 अंकित कुमार द्वारा माननीय न्यायालय ACJM-13 जनपद प्रतापगढ़ द्वारा जारी NBW वारंट संबंधित मुकदमा संख्या 9142/20 व मु0अ0सं0 327/90 धारा 394 भादवि थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित वारण्टी अभियुक्त थानेदार पुत्र राम अभिलाख निवासी ग्राम सहेरुआ थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़, वर्तमान पता थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 60 वर्ष को दिनांक 25.11.2026 को समय करीब 12:40 बजे उसके घर ग्राम सहेरुआ से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-
थानेदार पुत्र राम अभिलाख निवासी ग्राम सहेरुआ थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़, वर्तमान पता थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ उम्र करीब 60 वर्ष।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-
व0उ0नि0 लाखन सिंह भदौरिया मय हमराह रि0का0 अंकित कुमार, थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़।